

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.3(212)नविवि/3/2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 12 मई, 2021

संशोधित आदेश

कोविड-19 के मध्यनजर आम जन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा जारी किये गये निम्न आदेशों की निरन्तरता में सक्षम स्तर से लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड एवं उक्त नियमों के नियम 31 के अन्तर्गत, आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अंतर्गत एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजक के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 एवं भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क एवं 90-ख के अन्तर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.09.2020 की निरन्तरता में 31 जुलाई 2021 तक निम्न प्रकार छूट प्रदान/अवधि विस्तार की जाती है:-

1. आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/1999, जयपुर दिनांक 30 अप्रैल, 2020 की निरन्तरता में बकाया लीज राशि एक मुश्त 31 जुलाई, 2021 तक जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।
2. आदेश क्रमांक प.3(1201)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 01 मई, 2020 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 13.10.2020 एवं आदेश क्रमांक प.8(41)नविवि/2019 दिनांक 30.09.2020 के तहत आवासन मण्डल, प्राधिकरण व न्यासों द्वारा आवंटित आवासों की बकाया राशि व बकाया किश्त 31 जुलाई, 2021 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।
3. आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011 दिनांक 01 मई, 2020 व 28 जुलाई, 2020 की निरन्तरता में भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उप-विभाजन/पुर्नगठन, भू-उपयोग परिवर्तन आदि (नीलामी के प्रकरणों को छोड़कर) हेतु जारी किये गये मांग-पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की समय-सीमा 15 मार्च, 2020 के पश्चात् की है, उन प्रकरणों में 31 जुलाई, 2021 तक राशि जमा कराने की छूट प्रदान की जाती है।
4. आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011 दिनांक 15 मई 2020 द्वारा पट्टा/लीजडीड, भू उपयोग परिवर्तन आदेश एवं भवन निर्माण अनुज्ञा में निर्धारित की गई भवन निर्माण की समयावधि को 6 माह तक बढ़ाया गया था। उक्त आदेशों की निरन्तरता में दिनांक 31 दिसम्बर 2019 के पश्चात् समयावधि समाप्त होने वाले प्रकरणों में भवन निर्माण की अवधि एक वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष 6 माह तक बढ़ायी जाती है।



5. आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011 दिनांक 01 मई, 2020 के द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अंतर्गत पट्टा अभिलेख जारी होने की दिनांक से निर्माण की निर्धारित अवधि अथवा उक्त निर्माण अवधि विस्तार 31 दिसम्बर, 2019 तक समाप्त हो गई है एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अंतर्गत आवंटन के प्रकरणों में भवन निर्माण की निर्धारित अवधि में नहीं करने से आवंटन निरस्त हो गया है। ऐसे प्रकरणों में राशि जमा कराने की गणना दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक कर, निर्माण अवधि 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ाने साथ ही भवन निर्माण स्वीकृति के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा स्वतः ही दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ी हुई माने जाने के आदेश जारी किये गये थे, आदेश क्रमांक प.3(1201)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 01 मई 2020 जारी किया गया था, उक्त आदेशों की निरन्तरता में निर्माण अवधि व निर्माण अवधि विस्तार 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्माण अनुज्ञा अवधि स्वतः ही 31 जुलाई 2021 तक बढ़ी हुई मानी जावे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होंगे, किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

२/५/२०२१

(राजपाल सिंह यादव)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

२/५/२०२१
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-वसूली/2021-22/71/ 623

दिनांक:- 17-5-21

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011 पार्ट जयपुर, दिनांक 11.05.2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 12.05.2021 में बिन्दु संख्या 1 व 2 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव-मुख्य अभियन्ता, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पीएण्डएम, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त, रा.आ.मण्डल,
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-..... रा.आ.मण्डल,
12. जन सम्पर्क अधिकारी, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी वृत्त-..... रा.आ.मण्डल, जयपुर।
14. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को मण्डल वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
15. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार